न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26 / 2023

अपीलार्थी– ***बनाम*** **उत्तरदाता–**

जुगताराम पुत्र आसाराम जाति भील निवासी नेतराड तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य बजरिये तहसीलदार चौहटन

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2023 जो प्रकरण सं. 01 / 2023 मे तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 01 / 2023 सरकार बनाम भलाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का नेतराड द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नेतराड के खसरा नम्बर 1215 / 658 रकबा 77–17 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर में 1020 वर्गफीट पर गैर सायल जुगताराम द्वारा राजकीय भूमि पर दुकानों की नींव निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं हुए इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 27.06.2023 के द्वारा 1/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 13.07.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा नेतराड के खसरा नम्बर 1215/658 रकबा 77–17 बीघा का आया हुआ है उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलकर्ता की पैतृक भूमि है। जिस पर अपीलकर्ता का पीढीयों से काबिज है जिसमें अपीलकर्ता अपने परिवार सहित आवासीय मकान में निवास करता आ रहा है तथा उक्त आवासीय मकान को अन्यत्र व्यक्ति भलाराम का भी अनाधिकृत रूप से कब्जा बता दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि पर भलाराम का कोई लेना देना नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अनुपस्थित बताकर अपीलकर्ता का जवाब का अवसर बंद किये बिना ही एकतरफा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा न तो अपीलाधीन आराजी के मौके पर गया न तो अपीलांट एवं गांव वालो के बयान लिये और न ही वादग्रस्त खसरे का सीमाकंन किया गया। जबकि वादग्रस्त खसरे की भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर का बडा रकबा है जिसमें जिसमें अस्पताल, विद्यालय भवन, पंचायत की आवासीय दुकाने बनी हुई है परन्तु पटवार हलका द्वारा चारों तरफ आबादी क्षेत्र होने के उपरांत भी अपीलकर्ता का बीच में अवस्थित आवासीय मकान को गोचर भूमि में बताकर ह[illegible]करण अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो कि [illegible] है। जो निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम नेतराड के गे0मु0 गोचर भूमि पर के आवासीय मकान होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन गोचर दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.06.2023 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2023 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर